अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....**सहरसा**....., सं0.....**25**....., सन्**2021**.....

केस का प्रकार.....**आर्बिट्रेशन**.....**(तारेश्वर खाँ एवं अन्य बनाम राज्य)**.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
28.10.2026	NHAI एवं राज्य उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदक सुनवाई हेतु निर्धारित विगत (08) आठ तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। आज भी आवेदक द्वारा इस वाद में कोई पैरवी नहीं किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3 जी0 (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 107 परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि मौजा-पड़री थाना नं0-136, खाता सं0-733 एवं 707, खेसरा सं0-780 एवं 779 के किस्म को ''आवासीय वो व्यवसायिक'' श्रेणी में सम्परिवर्त्तन हेतु दायर किया गया है। विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के प्रतिवेदनानुसार उपरोक्त परियोजना हेतु निर्गत अधिसूचना एवं अधिघोषणा में अधिग्रहित भूमि खेसरा सं0-780 एवं 779 का किस्म 'कृषि' दर्ज है। जिला स्तरीय छः सदस्यीय जाँच कमिटि द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदन में आवेदक के भू-खंड को 'कृषि' श्रेणी में रखा गया। आवेदक द्वारा अधिग्रहित भूमि के सम्परिवर्त्तन (Change in Land Use) से सक्षम प्राधिकार से निर्गत संबंधी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। तद्नुलोक में विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा उनकी ओर से दाखिल जवाब के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेज तथा विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा दाखिल जवाब व अभिलेखों के आलोक में आवेदक के भूमि के किस्म के अनुरूप देय मुआवजा राशि का भुगतान संगत नियमों के आलोक में किया गया है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में ऐसा कोई भी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके की अधिसूचना से पूर्व उनकी भूमि का उपयोग आवासीय अथवा व्यवसायिक प्रयोजन से हो रही थी। फलस्वरूप प्रासंगिक मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा सहरसा द्वारा घोषित अवार्ड उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधितों को दी जाय। आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा